श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी—4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली—110016

क्रमांकःएफ 21(6) ला.ब.शा.रा.सं.वि.वि / हिं.रा.भा. / 2020—21/377 दिनांक 14.08.2021

कार्यालयीय—आदेश

गृह मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय पत्र सं. 13035—6 / 2021 रा.भा.ए के वर्ष 2021—22 के वार्षिक कार्यक्रम में दर्शाए गए निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित विभागों से पालन सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है।

विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी राजभाषा से संबंधित गठित समितियाँ उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु समय—समय पर समस्त अनुभागों का निरीक्षण करेंगे, ताकि उल्लिखित बिन्दुओं का पालन किया जा सकें।

1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई—मेल सहित)
    - "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100% , "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 65% , "क" क्षेत्र से "क" व "ख" क्षेत्र को 100%
    - "ख" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 90%, "ख" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 90% , "ख" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 55% "ख" से "क" व "ख" क्षेत्र को 90%
    - "ग" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 55%, "ग" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 55% , "ग" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 55% , "ग" से "क" व "ख" क्षेत्र को 55%
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर "क", "ख", "ग", क्षेत्र को 100 प्रतिशत हिंदी में दिया जाना चाहिए।
3. हिंदी में टिप्पणी लेखन "क" क्षेत्र 75%, "ख" क्षेत्र 50%, "ग" क्षेत्र 30%, टिप्पणी लेखन करना चाहिए।
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम "क" क्षेत्र 70%, "ख" क्षेत्र को 60%, "ग" क्षेत्र को 30%, करना चाहिए।
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती "क" क्षेत्र 80%, "ख" क्षेत्रा 70%, "ग" क्षेत्र 40%।
6. हिंदी में डिक्टेशन / की बोर्ड पर सीधे टंकण 'क' क्षेत्र 65%, "ख" क्षेत्र 55%, "ग" क्षेत्र 30%।
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्र 100%, 'ग' क्षेत्र 100% ।
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्र 100%, "ग" क्षेत्र 100% ।
9. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय हिंदी "क" क्षेत्र 50%, "ख" क्षेत्र 50%, "ग" क्षेत्र 50%
10. सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्रा 100%, "ग" क्षेत्र 100%।
11. वेबसाइट द्विभाषी हो "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्रा 100%, "ग" क्षेत्र 100% ।
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डो आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्रा 100%, "ग" क्षेत्र 100%।
13. मुख्यालयों में स्थित अनुभागों का निरीक्षण "क" क्षेत्र 25%, (न्यूनतम) "ख" क्षेत्रा 25%,(न्यूनतम) "ग" क्षेत्र 25%(न्यूनतम)।
14. राजभाषा संबंधी बैठकें:—(क) हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में 2 बैठकें, (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक), (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)।

15. कोड़, मैनुअल, फार्म, प्रकिया, और साहित्य का हिन्दी अनुवाद "क" क्षेत्र 100%, "ख" क्षेत्रा 100%, "ग" क्षेत्र 100% ।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करके दिनांक 31.08.2021 तक अध्यक्ष, हिंदी राजभाषा को रिपोर्ट प्रेषित करे। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

यह कार्यालयीय आदेश सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार निर्गत किया जा रहा हैं।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन– I)

नोट : 'क' एवं 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र का वर्गीकरण का निम्न प्रकार है :–

"क" क्षेत्र– बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।

"ख" क्षेत्र– गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

"ग" क्षेत्र– उपर्युक्त में निर्दिष्ट राज्यों और संघ क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष।
2. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी।
3. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित है कि वे उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंकित करें।
4. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियता।
5. महिला अध्ययन केन्द्र / पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रकाशन विभाग।
6. कुलपति / कुलसचिव / वित्ताधिकारी के निजी सचिव।
7. संबंधित पंजिका।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन– I)